भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †5074
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

खनन कार्यकलापों का विनियमन

†5074. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में प्रचालन हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त खानों का ब्यौरा क्या है;
(ख) खनन कंपनियों को कुल आवंटित क्षेत्र सहित भूमि आवंटन का ब्यौरा क्या है और पट्टे की अवधि क्या है तथा कंपनी के नाम और लगाई गई शर्तें क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा राजस्थान में खनन कार्यकलापों को विनियमित करने विशेषकर अवैध खनन को रोकने तथा पर्यावरण और वन संरक्षण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) खान क्षेत्रों की निगरानी, प्रवर्तन और पुनर्वास सहित सतत् खनन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या शासन तंत्र स्थापित किया गया है; और
(ङ) क्या सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने हेतु कोई रणनीति बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके सतत् निष्कर्षण और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में 16 प्रमुख खनिज खानों को प्रचालन के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। इनका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, अवैध खनन की रोकथाम और उसपर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार समय-समय पर नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन और संवर्द्धन करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान खनिज (अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण रोकथाम) नियम, 2006 को अधिसूचित किया है। अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए, भारत सरकार ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से खनन पट्टों के आसपास अवैध खनन गतिविधियों की घटनाओं का पता लगाने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) की शुरूआत की है।

(घ) खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-v के तहत प्रावधान करके सतत खनन पद्धतियों को कार्यान्वित किया है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, जहरीले तरल के रिसाव की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, सतह के अवतलन पर नियंत्रण आदि के लिए नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं। स्टार रेटिंग योजना को पर्यावरण और वन सुरक्षा उपायों के लिए एक अंतर्निहित अनुपालन तंत्र बनाने के लिए तैयार किया गया है और यह सभी खनन पट्टा धारकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए इस क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शकों को पहचानने में सहायक रहा है। इसके अलावा, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खनन प्रचालनों के शुरू होने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त करना और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसे कायम रखना अनिवार्य है।

(ङ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को 16,300 करोड़ रुपये के व्यय तथा पीएसयू और अन्य हितधारकों से 18,000 करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी दी है। एनसीएमएम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण एवं अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। एनसीएमएम के

अंतर्गत, सरकार महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी निर्माण, वैश्विक अनुसंधान और विकास सहयोग तथा इसके अंतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी।

*****

अनुलग्नक I

'खनन कार्यकलापों का विनियमन' के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5074 के उत्तर में भाग 'क' और 'ख' में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में प्रचालन के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त प्रमुख खनिज खानों का विवरण

क्र.सं.	पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक का नाम	खनिज का नाम	क्षेत्र (एचक्यू)	अवधि		लगाई गई शर्तें	आवंटित भूमि	
				से	तक		क्षेत्र (एचक्यू)	भूमि का प्रकार
1	मैसर्स वंडर सीमेंट	चूना पत्थर	515.2	10.10.2022	19.10.2072	-	515.2	सरकारी
2	मैसर्स जे के सीमेंट लिमिटेड	चूना पत्थर	304	28.06.2023	27.06.2073	-	304	सरकारी
3	श्री गोविंद गोयल	वोलास्टोनाइट और फेल्डस्पार	5	26.05.2003	25.05-2053	कानून के अनुसार	5	सरकारी
4	सरसनी	चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड)	470	12-04-2023	11-04-2073	कानून के अनुसार	125.2242	सरकारी
5	एसीसी लिमिटेड	चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड)	1516.88	01-08-1973	31-03-2030	-	1107.00	गैर वन भूमि
							409.88	वन भूमि
6	श्री सीमेंट	चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड)	624	08.05.19	07.05.69	पट्टा करार में यथा विनिर्दिष्ट	624	सरकारी/ चरागाह भूमि/निजी भूमि
7	ओजस्वी मार्बल एंड ग्रेनाइट	लौह अयस्क	180	18.12.21	17. 12.71	पट्टा करार में यथा विनिर्दिष्ट	180	वन भूमि

8	मारवाड़ सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड)	195.706	07.02.20	06.02.70	पट्टाधारक दो मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र संस्थापित करेगा	195.7064	सरकारी/ निजी भूमि
9	मैसर्स श्री मामा देव माइंस एंड मिनरल्स	गार्नेट (अब्रेसिव) फेल्सपार और क्वार्ट्ज	4.3637	17.01.2014	16.01. 2064	हां	4.3637	खातेदारी भूमि
10	जिंदल सॉ लिमिटेड	कोबाल्ट, तांबा, सोना, लौह अयस्क, सीसा, निकल, चांदी, जस्ता	1556.78	08.12.2010	07.12.2060		1556.78	सरकारी/ चरागाह भूमि/ निजी भूमि
11	उम्मेद सिंह राणावत	गार्नेट, क्वार्ट्ज	4	27.11.2013	26.11.2063	-	4	सरकारी बंजर भूमि/निजी भूमि
12	प्रवीण जैन (डांगी)	फेलस्पार, गार्नेट, माइका, क्वार्ट्ज	4.06	01.10.2006	30.09.2064		4.06	सरकारी बंजर भूमि/निजी भूमि
13	जिंदल सॉ लिमिटेड	कोबाल्ट, तांबा, सोना, लौह अयस्क, सीसा, निकल,	433.1	09.05.2012	08.05.2062		433.1	सरकारी/ चरागाह भूमि/निजी

		चांदी, जस्ता						भूमि
14	एकेडी जेम गार्नेट माइंस	गार्नेट	5	14.05.2001	13.05.2051		5	सरकारी/ निजी भूमि
15	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड	कैडमियम, सीसा, चांदी, जस्ता	1200	13-03-1980	12.03.2030		1200	सरकारी/ चरागाह भूमि/ निजी भूमि
16	दिनेश कुमार जैन	फेलस्पार, गार्नेट, माइका, क्वार्ट्ज चूना पत्थर	4.03	21.07.2008	20.07.2058		4.03	सरकारी/ निजी भूमि